

Tr. No. AMG-II (HQ)/2025-26/ 449-452

Dated 20.11.25

अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु तृतीय त्रैमास 2025-26 का यात्रा कार्यक्रम

Tour programme for Compliance Audit for 3rd QTP 2025-26

प्रक्षेत्र : ए०एम०जी०-II/ लेखापरीक्षा दल सं० 03/ Sector AMG II/Audit Party No.- 03

दल के सदस्य/ Team Members

क्रम सं०/ Sl. No.	नाम(श्री) /Name (Shri)	पदनाम/Designation	पहचान पत्र सं०/ ID Card No.
1	रामेन्द्र किशोर/ Ramendra Kishore	व०ले०प०अ०/ Sr. AO	बीएचपीटीए 211879/ BHPTA211879
2	रौशन कुमार-I/ Roushan Kumar I	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीएल 3340123/ BHPTL3340123
3	अमित कुमार नं० 8/ Amit Kumar No.8	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीए 3031639/ BHPTA3031639
4	प्रसान्त कुमार उपाध्याय/ Prasant Kumar Upadhayay	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीए 3031613/ BHPTA 3031613
5	कमलेश प्रसाद/ Kamlesh Prasad	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ Sr. Ar	बीएचपीटीए 3031198/ BHPTA 3031198
6	अजय सक्सेना/ Ajay Saxena	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ Sr. Ar	बीएचपीटीए 3031720/ BHPTA3031720

पर्यवेक्षी अधिकारी: श्री रामेन्द्र किशोर, व०ले०प०अ० (बीएचपीटीए 211879)

Supervising Officer: Shri Ramendra Kishore, Sr. Audit Officer (BHPTA211879)

पर्यवेक्षण की अवधि /Period of Supervision: 14.11.25 से 07.01.26/ 14.11.25 to 07.01.26

नोट: इकाई का लेखापरीक्षा विगत लेखापरीक्षा से लिया गया है

Note: Audit of the Entity taken from Last Audit

क्रम सं० / SL. NO	लेखापरीक्षा इकाई का नाम/ Name of the audit entity	लेखापरीक्षा का प्रकार/ Type of Audit	जोखिम श्रेणी (निम्न/मध्यम/उच्च)/ Risk category (Low/Medium/High)	अंतिम बार लेखापरीक्षित इकाई के लेखापरीक्षा का माह/ Audit of the entity last audited till	पारगमन की तिथियों के साथ अवधि जिसके अंतर्गत लेखा परीक्षा की जाएगी/ Audit to be conducted during the period with dates of transit		टिपणी/ Remarks
					From	To	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना/ SECRETARY, SOCIAL WELFARE DEPARTMENT, PATNA (PTSSOC003)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/C	सितम्बर 23/ Sep 23	14.11.25	01.12.25	12 कार्य दिवस (22/11, 29/11-शनि; 23/11, 30/11-रवि)/ 12

							working days (22/11, 29/11-Sat; 23/11, 30/11-Sun)
2	निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, पटना/ DIRECTOR, DIRECTORATE, BC & EBC WELFARE DEPARTMENT, PATNA (PTSBCW003)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/ब	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	02.12.25	15.12.25	10 कार्य दिवस (06/12, 13/12-शनि; 07/12, 14/12-रवि)/ 10 working days (06/12, 13/12-Sat; 07/12, 14/12-Sun)
दिनांक 16.12.25 को प्रातः में पटना से सारण पारगमन/Morning Transit from Patna to Saran on 16.12.25							
3	उप-निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, सारण डिवीज़न, छपरा/ DEPUTY DIRECTOR, Office of Backward and Extremely Backward Welfare, Saran Division, CHHAPRA, SARAN (SRNBCW002)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	अ/अ	सितम्बर 21/ Sep 21	16.12.25	24.12.25	08 कार्य दिवस (21/12-रवि)/ 08 working days (21/12-Sat)
4	जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/ब	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	26.12.25	07.01.26	10 कार्य दिवस (28/12, 04/01-रवि; 25/12, 27/12-अवकाश)/ 10

वर्ग कल्याण कार्यालय, छपरा, सारण/ DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICER, DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICE, CHAPRA, SARAN (SRNBCW001)							working days (28/12, 04/01- Sat; 25/12, 27/12- Holiday)
दिनांक 07.01.26 को संध्या में सारण से पटना पारगमन/ Evening transit from Saran to Patna on 07.01.26							

नोट: - क्षेत्र दल को निर्देश दिया है कि वे लेखापरीक्षित इकाइयों के स्थान से, जो मुख्यालय से 150 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं, प्रत्येक सप्ताहांत पर मुख्यालय आएँ। (यह उन स्थानों पर लागू नहीं होगा जहाँ लेखापरीक्षा दल का आवास/भोजन सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, निरीक्षण बंगले, मेस आदि में हो।) {प्राधिकरण हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 3368/बीआरएस/2012 दिनांक 27 जून, 2012 देखें}। सभी क्षेत्र दल के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश के दिन केवल सप्ताहांत के प्रत्यय/उपसर्ग पर ही कार्यालय में उपस्थित हों।

2. दो या अधिक लगातार अवकाश की स्थिति में (रविवार सहित), मुख्यालय से 150 किलोमीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र दल, मुख्यालय से सम्बद्ध होने हेतु अवकाश से पहले वाले दिन संध्या पारगमन का उपभोग करेगी और इसके बाद संबंधित लेखापरीक्षित इकाइयों में शामिल होने के लिए छुट्टी के बाद वाले दिन प्रातः में पारगमन का उपभोग करेगी।
3. दल अपने-अपने आवंटित कार्य/विषय-वस्तु कार्य को इस कार्यालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों/एसओपी के अनुपालन के साथ निष्पादित करेगी।
4. यदि आपको फील्ड विजिट में कोई समस्या आ रही है तो कृपया तुरंत गुप अधिकारी/नोडल कार्यालय (ओआईओएस)/मुख्यालय से संपर्क करें।
5. लेखापरीक्षा दल को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के 2 दिनों के भीतर डेस्क रिव्यू प्रस्तुत करनी होगी।
6. डेस्क स्टडी हेतु, वाउचर-वार वीएलसी डेटा को एक्सेल शीट में आरोही/अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है और वाउचर के मूल्य के आधार पर जोखिम विश्लेषण(रिस्क एनालिसिस) किया जाना है।
7. क्षेत्र दल को यह सुनिश्चित करना है कि वे सौंपी गई इकाई के अनुसार उपलब्ध कराए गए एडीएम के अनुसार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को ईमेल किए गए एलडीपी विषयों पर काम करें।
8. लेखापरीक्षा इकाइयों के अंतिम लेखापरीक्षा का मिलान लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से किया जाना है। विसंगतियों की स्थिति में, इसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को दी जाए।
9. जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के अंतर्गत, जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर एक विद्यालय का लेखापरीक्षा किया जाना है और निष्कर्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है।

प्राधिकार: वरिष्ठ उप-महालेखाकार का आदेश दिनांक 24.10.25

Note: - Field Party is directed to come to Headquarter on every weekend from place of auditee units at a distance of less than 150 km from headquarter. (Not applicable where boarding/lodging of audit team is in Circuit Houses, Guest House, Inspection Bungalows, messes etc.) {Authority vide Hqrs. Letter no. 3368/BRS/2012 dated 27th June, 2012}. All the field officials have been directed to join the office on declared holiday in State Govt. on Suffix /prefix of weekend only.

2. In case of two or more consecutive holidays (including Sundays), the field party, withing 150 km from Headquarter, shall take evening transit on the day preceding the holiday to report to Headquarter and shall further, avail morning transit on the day succeeding the holiday to join the respective auditee units.

3. The Party will perform their respective allotted works/theme work with compliance of instruction/guidelines/SoP issued by this office as well as Ministry of Home Affairs related to Covid-19.
4. In case you are facing any issue in field visit please contact to Group Officer/Nodal office (OIOS)/Headquarters immediately.
5. Audit Team have to submit Desk Review within 2 days of commencement of Audit.
6. For Desk study, Voucher-wise VLC data is to be arranged in ascending/descending order in Excel Sheet and Risk Analysis is to be done on the basis of value of Vouchers item-wise.
7. The field party is to ensure to work on the LDP topics emailed to the Sr. AOs as per ADM provided as per the unit assigned..
8. The last audit of audit entities are to be matched with the data provided by the auditee unit. In case of discrepancies, the same may be intimated to Headquarters immediately.
9. Under the DBEO, on school is to be audited within the stipulated time allotted for the DBEO and the findings are to be incorporated in the Inspection Report.

Authority: Sr. Dy. AG/AMG-II dated 24.10.25

#ApprovedByName#

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए०एम०जी०-II (मु०)
Sr. Audit Officer/ AMG-II (Hqrs.)

प्रति अग्रसारित//Copy forwarded to: -

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना के सचिव/ Secretary to the Pr. Accountant General (Audit) Bihar, Patna
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ दावा/ ए०एम०एस०/ Sr. Audit Officer / Claim / AMS
3. सम्बंधित क्षेत्र दल/ Party concerned
4. सूचना पट्ट/ Notice Board

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए०एम०जी०-II (मु०)
Sr. Audit Officer/ AMG-II (Hqrs.)